पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 6073/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 15/05/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 05 मई, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
3.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
5.	डॉ. बंशीलाल खण्डेलवाल	–	सदस्य
6.	डॉ. विभूति राय	–	सदस्य
7.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
10.	डॉ. अंजनि कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
12.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में डॉ. एस.के. मुखर्जी एवं डॉ. जी.बी. गुप्ता अनुपस्थित रहे।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक 17.01.2009, 05.02.2009, 03.03.2009, 13.03.2009 एवं 30.03.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः– कार्यपरिषद् के आपातिक बैठकों एवं सामान्य बैठकों के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई। विषय सूची की टीप पर निर्णय लिया गया कि ट्रंककाल की सुविधा के समय यह आदेश प्रचलित था। श्री एस.के. चक्रवर्ती, उपसचिव, वित्त ने बैठक में भाग लिया और यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व के आदेशों को निरस्त किया जाय।

2. **अनुचित साधन समिति** के गठन के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि **अनुचित साधन समिति** के सदस्य निम्नानुसार नामांकित किये गये :–

1.	कार्यपरिषद् के सदस्यों से	–	डॉ. शलभ तिवारी
2.	विभिन्न संकाय के संकायाध्यक्षों से।	–	प्रो. प्रोमिला सिंह
3.	विद्या परिषद् से	–	प्रो. ओ.पी. वर्मा

3. कु. निलिमा गडकरी, शोध छात्रा रसायन शास्त्र के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि शोध प्रबंध रसायन शास्त्र विषय के शोध केंद्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित कराकर विश्वविद्यालय अकादमिक शाखा में जमा करें।

4. **डॉ. आरती परगनिहा,** के शोध निर्देशक की मान्यता के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि भविष्य में शोध उपाधि समिति के प्रकरण को कार्यपरिषद् में न लायें, विशेष परिस्थिति में ही दिशा निर्देश, आवश्यक होने पर प्रस्ताव कार्यपरिषद् में लायें। डॉ. आरती परगनिहा को भी निर्देशित किया जाय कि शोध निदेशक मान्यता के लिये शोध उपाधि समिति को पत्र लिखकर आवेदन करें।

5. भौतिकी अध्ययन शाला का नाम परिवर्तन कर 'SoS in Physics & Astrophysics' किये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः— भौतिकी अध्ययन शाला का नाम परिवर्तन कर 'SoS in Physics & Astrophysics' मान्य किया गया।

6. प्रस्तावित A.T.M. स्थापना का नक्शा – भारतीय स्टेट बैंक का पत्र क्रमांक MISC/2008-09/33 दिनांक 27.11.2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पर प्रस्तावित नक्शे के अनुरूप A.T.M. स्थापना मान्य किया गया।

7. कैरियर एडवांसमेंट से संबंधित प्राध्यापकों के आवेदनों के प्रति विषय मूल्यांकन की दर रूपए 1000/– करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि प्रति व्यक्ति, प्रति मूल्यांकन रू. 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) स्वीकृति प्रदान पर भुगतान किया जाय।

8. श्री डिलेश्वर पटेल, शोध छात्र संस्कृत, का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन, दिनांक 08.12.2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः— निर्णय लिया गया कि शोध समय अवधि एक वर्ष और बढ़ाये जाने का प्रस्ताव, शोधार्थी द्वारा दिये जाने पर नियमानुसार ही समयावृद्धि देनें कुलपति जी को अधिकृत किया किया गया।

9. विलम्ब से प्राप्त एम.ए. अंतिम के छात्रों के प्रतिवेदन जमा करने, स्वीकार करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः–

क्र.	कक्षा	विषय	महाविद्यालय	वि.वि. द्वारा निर्धारित तिथि	गोप. विभाग में प्राप्ति तिथि	छात्र संख्या	संलग्न आवेदन
01	M.A.(F.)	भूगोल	1. शास. महा. कुरूद	09.03.2009	17.03.2009	17	A
			2. शास. महा. सरायपाली	09.03.2009	17.03.2009	01	A-1
02	M.A.(F.)	हिन्दी	अमहाविद्यालयीन	10.03.2009	16.03.2009	03	B
03	M.A.(F.)	मानव विज्ञान	शास. दंतेश्वरी महिला महा. जगदलपुर	09.03.2009	17.03.2009	02	C
					योग =	23	

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 विलंब से प्राप्त एम.ए. अंतिम के छात्रों के प्रतिवेदन जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. फार्मेसी संस्थान की इम्प्रेस्ट राशि रू. 5000–00 से रू. 20,000–00 करने पर विचार किया गया।

निर्णयः– पूर्व कार्यपरिषद् में राशि का उल्लेख नहीं था। विषय सूची में उल्लेख राशि रू. 5000–00 से रू. 20,000–00 किये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

11. ग्रंथालय समिति के लिये कार्यपरिषद् सदस्यों में से एक सदस्य नियुक्त किये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि ग्रंथालय समिति में से एक सदस्य प्रो. विभूति राय को नामांकित किया गया।

12. **श्री युगल किशोर महिपाल,** शोध छात्र भौतिकी एवं **कु. नियति गुरूद्वान,** शोध छात्रा गणित के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि संबंधित शोधार्थियों का शोध आवेदन प्रस्तुत दिनांक को प्रचलित अध्यादेश ही, छात्रों के लिए मान्य होगा। तद्नुसार ही छात्रों का पंजीयन मान्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक से छात्रों का पंजीयन शोध उपाधि समिति के दिनांक से मान्य किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना दिनांक से अध्यादेश 45 में संशोधन लागू होगा।

13. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः– विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

14. 1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण की इम्प्रेस्ट राशि रू. 5,000/– से बढ़ाकर रू. 10,000/–,
2. महिला छात्रावास की इम्प्रेस्ट रू. 5,000/– से बढ़ाकर रू. 10,000/–,
3. उपाधि प्रकोष्ठ में इम्प्रेस्ट राशि रू. 3,000/– का प्रावधान,
के प्रकरण पर विचार करना।
4. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान शाला की इम्प्रेस्ट राशि रू. 1500/– से बढ़ाकर रू. 3000/– किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि इम्प्रेस्ट उपरोक्त संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तावित बढ़ोत्तरी इस शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है कि आने वाले समय में इम्प्रेस्ट राशि का व्यय अति आवश्यक कार्यों में, उचित कार्यों में, आवश्यक होने पर सक्षम स्वीकृति लेकर की जाय। वित्ताधिकारी इस हेतु राज्य शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप नियमावली तैयार कर विभागों को उपलब्ध करायी जाय।

15. विनियम 91 में "लेखा प्रशिक्षण को वरीयता दिए जाने" संबंधी अंश को विलोपित किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि शासकीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर कार्य परिषद् के आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

16. मानदेय पुनर्निर्धारण हेतु लंबित अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में श्री राजेश पाण्डे, अधिवक्ता का आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि श्री राजेश पाण्डे अधिवक्ता का मानदेय पुनर्निर्धारण कर रू. 4000/– प्रतिमाह से रू. 5000/– प्रतिमाह निर्धारित किया जाय।

17. "Loss of Advance adjustment File of Health Center." के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र लैब Renovation संबंधी अग्रिम की मूल नस्ती गुम होने की स्थिति में डुप्लीकेट नस्ती स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रस्तुत करने पर, समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

18. कक्ष अधिकारियों के निवास स्थान में दूरभाष या मोबाईल पर प्रति माह रू. 500/– मात्र के व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– 1. श्री एच.एल. पाण्डेय, 2. श्री एच.सी. साहू, 3. श्री पी.के. शुक्ला, 4. श्री आर.के. दुबे, 5. श्री ए.आर. चौरे, 6. श्री आर.के. चौहान कक्ष अधिकारियों के निवास स्थान में दूरभाष या मोबाईल पर प्रति माह रू. 500/– मात्र के व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति प्रदान की गई।

19. कु. नीतू पाहरी एवं नम्रता वर्मा, छात्र एम.ए. अंतिम–हिन्दी का पत्र दिनांक 12.03.2009 पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि लघु शोध प्रबंध जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

20. श्री सूर्य कुमार तिवारी सेवानिवृत्त जज, एवं विभागीय जाँच अधिकारी श्री एल.डी. देवरस सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधिश जाँच अधिकारी पारिश्रमिक/मानदेय के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि श्री सूर्य कुमार तिवारी सेवानिवृत्त जज, एवं विभागीय जाँच अधिकारी श्री एल.डी. देवरस सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधिश जाँच अधिकारी पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारित के लिये कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

21. जिला पंचायत कार्यालय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों से प्राप्त अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क 100/– लेने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि जिला पंचायत कार्यालय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों से प्राप्त अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क प्रति अंकसूची/प्रति उपाधि सत्यापन शुल्क रू. 100/– लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।

22. सम्बद्धता फार्म का मूल्य रू. 150/– के स्थान पर रू. 500/– किये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित राशि रू. 500/– सम्बद्धता फार्म का मूल्य स्वीकृत किया गया।

23. श्री विक्टर एक्का, उप कुलसचिव, निलंबित के आवेदन पत्र दिनांक 11.02.2009 पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि श्री विक्टर एक्का, उप कुलसचिव, निलंबित की जाँच चल रही है। अतः जाँच प्रतिवेदन की प्रतिक्षा की जाय।

24. प्रोफेसर लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति जी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के पूर्ण भूगतान रू. 47,364/– स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि कुल व्यय चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान मान्य योग्य रू. 44,922/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. **ग्रेसियस महाविद्यालय आफ नर्सिंग, रायपुर** एवं **सी.एम. नर्सिंग इंस्टिट्यूट नेहरू नगर, भिलाई** में बी.एस–सी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) में प्रवेशित छात्रों के प्रवेश को मान्य के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को पत्र लिखा जाय कि परिनियम–28 के अंतर्गत नियुक्ति की जाय तभी प्रवेश मान्य कर परीक्षा ली जाय। परीक्षा पूर्व कार्यवाही पूर्ण कर लें।

2. डॉ. भगवन्त सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ के आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2009 पर विचार किया गया।

निर्णयः– पात्रता नहीं है।

3. पी.जी. कॉलेज आफ नर्सिंग हॉस्पीटल सेक्टर, भिलाई में प्रवेशित अस्थाई छात्रों के प्रवेश मान्य करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– काउंसिलिंग नहीं होता, अतः मान्य किया गया।

4. डिग्री मुद्रण भुगतान के संबंध में जाँच समिति की रिपोर्ट कुलपति जी द्वारा प्रस्तुत की गई। जांच प्रतिवेदन पर चर्चा की गई, निर्णय लिया गया कि कुल भुगतान रू. 13,22,708/– में से रू. 5,00,000/– आंशिक भुगतान की सूचना ग्रहण की गई। फर्म को पुनः रू. 5,00,000/– का भुगतान कर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में जाँच समिति की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय प्रशासन का अभिमत प्रस्तुत करे तदुपरांत ही कार्य–परिषद् प्रकरण पर निर्णय लेगी। संबंधित फर्म को उनके Legal Notice के जवाब में इसकी सूचना, पत्र के द्वारा दे दी जाय।

5. Data Processing कार्य के संबंध में पूर्व वर्षो की अनुबंधित फर्म ओसवाल डाटा की अतिशेष लंबित राशि रू. 2,95,048=00 भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् में अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद् के सदस्य डॉ. सतीश जनार्दन केकरे द्वारा प्रस्तावित किया गया कि हिंदी, अंग्रेजी विषय के अलग–अलग शोध उपाधि समिति एवं अध्ययन मण्डल हों और इन विषयों के शोध उपाधि समिति एवं

अध्ययन मण्डल की बैठकों में संबंधित विषय का ही विशेषज्ञ बैठक में भाग लें। आगामी बैठकों में इसका ध्यान रखा जाय। प्रकरण को विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में भी रखा जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 6074/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 14/05/2009

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी ।
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्ताधिकारी / आन्तरिक अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)